	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख व नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
	C/No. 13/2024 उनवान किशनपाल v/s रामस्वरूप	
7/2024	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व प्रतिवादी उप० वकील वादी व प्रतिवादी को प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगणों की कृषि भूमि ग्राम भामोलाव मे स्थित है जिसके खसरा स. 1123/422, 1188/433, 416, 421, 422 कुल खसरा 05 कुल रकबा 11.8761 हैक्टेयर में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है तथा कब्जानुसार काश्त कर रहें है उपरोक्त भूमि का विभाजन नही हुआ है लेकिन फिर भी अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बेचान करना चाह रहे है तथा खुर्द बुर्द करने पर उतारू है अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि हम उपरोक्त भूमि का बेचान नही करना चाहते है केवल विभाजन करवाना चाहते है। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अतः प्रा० पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि ~~खसरा~~ ग्राम भामोलाव स्थित खसरा नं. 1123/422, 1188/433, 416, 421 व 422 कुल खसरा 05 कुल रकबा 11.8761 हैक्टेयर भूमि का बेचान नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए प्रार्थी व अप्रार्थीगणों (उत्तरपक्ष) को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल मुताबिक जाब्ता नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)	हस्ताक्षर कैलाश चन्द